

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(8)राज/वाद/10/पार्ट

जयपुर दिनांक 23/8/24

:: अधिसूचना ::

माननीय मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 58/2024 दिनांक 23.08.2024 की पालना में राजकीय वादकरण नीति 2018 के अध्याय 14 में संशोधन कर बिन्दु संख्या 14.7 के पश्चात एक नवीन बिन्दु निम्नानुसार समाविष्ट किया जाता है—


“14.8- Notwithstanding anything contained in the Policy, the authority of the appropriate level shall have power to appoint any counsel to any post after considering his expertise in the respective field.”

हो  
(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
9. प्रोगामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कराये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

  
(महेश पुनेठा) 23/8/24  
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण



राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय  
मंत्रिमण्डल की आज्ञा

58 / 2024

विधि एवं विधिक कार्य (राजकीय वादकरण) विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक प.12(8)राज/वाद/10/पार्ट दिनांक 22.08.2024 में अंकित राजकीय वादकरण नीति-2018 के अध्याय 14 में नवीन बिन्दु 14.8 समाविष्ट करने हेतु संशोधन संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 22 अगस्त, 2024 को सरक्यूलेशन के माध्यम से स्वीकृत करते हुए, अनुमोदन किया गया।

*Sudhansh Pant*

(सुधांश पंत)  
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

डी. 58 / मं.मं. / 2024  
जयपुर, दिनांक: 23 अगस्त, 2024

PLS  
23/8/24  
Secy Law